File No.10-35013/3/2021-35-

उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (संस्थागत) अनुभाग-35
संख्या: 608 बी०/वि० (संस्थागत) अनुभाग-35
लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2021
अधिसूचना

चूँकि "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की मार्जिन मनी ऋण तथा सहायकी योजना (वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना) के अधीन उत्पादक कार्यकलाप प्रारम्भ करने के लिये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना अधिसूचना संख्या- एस०आर० (आई0एफ0) 4208/एक्स-85/44 (5) /आर0डी0 / 96 दिनांक 10 अक्टूबर 1985 द्वारा राज्य पुरोनिधानित योजना घोषित की गयी थी।

और चूँकि पूर्वोक्त अधिसूचना / अधिसूचना संख्या-521/75-बैंकिंग/2000/सी-44(5)2000 दिनांक 12 जून, 2000 द्वारा संशोधित की गयी थी और बढ़ायी गयी थी और अग्रतर अधिसूचना संख्या - 496/75/आई0एफ0टी0आर0/2005 दिनांक 16 अगस्त, 2005 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2010 तक के लिए संशोधित की गयी थी और बढ़ायी गयी थी।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 1972) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल पूर्वोक्त योजना की अवधि को दिनांक 31 मार्च, 2025 तक के लिये बढ़ाती हैं।

आज्ञा से,
एस० राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग जीवन दीप, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त / राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त व्यावसायिक बैंकों के आंचलिक प्रमुख ।
8. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उ०प्र० ।
9. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
11. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाहय सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ०प्र०, 16- विधान सभा मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिसूचना की प्रति सम्बन्धिलों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियां महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय,उ०प्र०, 16- विधान सभा मार्ग लखन एवं 50 प्रतियों शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(समीर)

विशेष सचिव ।

Signed by
Date: 23-11-2021 14:11:56
Reason: Approved